न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

... संख्या : 17/173

1. छोटी बाई पत्नी श्री माना गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये मुख्तार आम श्री रमेश चन्देल आत्मज श्री छोटू निवासी मकान नं0 6– जी– 51, विज्ञान नगर विस्तार योजना, कोटा ।
2. इमरान अली आत्मज श्री इश्हाक अली जाति मुसलमान निवासी मैन रोड, खेडली फाटक, कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.12.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 23.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा में साबिक खसरा नम्बर 39 की 10 बीघा एंव साबिक खसरा नम्बर 38 की 15 बीघा भूमि वादिया संख्या 1 को आवंटित हाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादिया अपीलान्ट कम 1 के नाम गैर खातेदारी में वर्ष 1977 में दर्ज हुई । इसके पश्चात् अपीलान्ट का निरन्तर कब्जा काश्त होने के उपरान्त भू–प्रबन्ध विभाग ने भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान कृषक के कॉलम में जैर बहस भूमि को चालू पडत (जुताई हेतु) अंकित कर दिया । पुनः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1420 दिनांक 26.08.2013 द्वारा नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज कर दिया ।

... फोटो प्रतिलिपि

न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2017 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिये जाने व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. वादी अपीलान्ट के लायक अधिक्ताने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । उक्त भूमि अपीलान्ट कम 1 को भूमि का आवंटन दिनांक 10.06.1976 को हुआ था तथा दिनांक 03.10.1977 को उसके नाम राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी से विधिवत अंकन हुआ था । नामान्तरकरण पंजिका राजस्व अभिलेख है जिसमें वादिनी के नाम आवंटन आदेश का हवाला है तथा नामान्तरकण संख्या 511 एवं नामन्तरकरण संख्या 526 में वादिनी/अपीलान्ट के पक्ष में विवादित भूमि की गैर खातेदारी का अंकन है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय का यह कथन कि विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में कोई अंकन कभी भी नहीं हुआ है यह पूर्णतः तथ्यहीन व असत्य है । वादिनी को उक्त आवंटित भूमि गैरमुमकिन पहाड व गैर मुमकिन पठार सिवायचक अंकित थी । नामान्तरकरण संख्या 511 व 526 दिनांक 03.10.1977 को वादिनी के नाम गैर खातेदारी से राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई थी लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग ने उपरोक्त तथ्यों को उरकिनार करते हुए इससे भिन्न प्रविष्टि अंकित कर दी जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाई जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहा की है । वादग्रस्त आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास के खातेदारी में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2017 बहाल रखा जावे ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2017 में उनके यहाँ प्रस्तुत वाद में 05 विवाद्यक बिन्दु विरचित किये जाकर तनकीवार निर्णय किया था । अतः इस अपील में उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस के परिप्रेक्ष्य में इस अपील का निस्तारण विवाद्यक बिन्दुवार किया जा रहा है –

1. विवाद्यक बिन्दु संख्या 1 :– आया विवादित आराजी दिनांक 10.06.1976 को वादिनी को आवंटित की गयी व वादिनी की गैर खातेदारी में दर्ज की गयी :– उक्त परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर नामान्तरकरण पंजिका ग्राम रानपुर में नामान्तरकरण संख्या 511 दिनांक 03.10.1976 में यह अंकित है कि 'हस्ब आदेश एलोटमेंट कमेटी 106/76 फा0 नं0 2503 से आराजी खसरा नम्बर 39 की 10 बीघा 01 बिस्वा बीड दोयम पर छोटी बेवा माना गुर्जर को गैर खातेदार दर्ज किया जावे।' इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 526 में भी इसी प्रकार का अंकन अपीलान्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है जो निर्विवाद है । उक्त राजस्व अभिलेख से यह नितान्त स्पष्ट है कि अपीलान्ट कम 1 को जैर बहस भूमि का आवंटन दिनांक 10.06.1976 को हुआ था तथा दिनांक 03.10.1977 को उसके नाम राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी से विधिवत अंकन हुआ था । विचारण न्यायालय ने इस तनकी के निष्कर्ष में यह लिखा है कि वादिनी की गैर खातेदारी में दर्ज करने के आदेश का

है कि लेकिन किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल दरामद नहीं हुआ है । विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से नितान्त भिन्न व असत्य है । नामान्तरकरण पंजिका राजस्व अभिलेख है जिसमें वादिनी के नाम आंवटन आदेश का हवाला है तथा नामान्तरकण संख्या 511 एवं नामन्तरकरण संख्या 526 में वादिनी/अपीलान्ट के पक्ष में विवादित भूमि की गैर खातेदारी का अंकन है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय का यह कथन कि विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में कोई अंकन कभी भी नहीं हुआ है यह पूर्णतः तथ्यहीन व असत्य है तथा इस आधार पर विचारण न्यायालय का इस तनकी का निष्कर्ष भी नितान्त अविधिक होकर समर्थन योग्य नहीं है । इस प्रकार नामान्तरकरण पंजिका में अंकित नामान्तरकरण संख्या 511 व 522 के आधार पर यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

2. विवाद्यक बिन्दु संख्या 2 :– आया सेटलमेंट द्वारा अवैध रूप से विवादित भूमि को कृषक के कॉलम में चालू पडत दर्ज किया जो अवैध है :– विचारण न्यायालय ने इस तनकी पर अपना निष्कर्ष दिया है कि वादिनी को उक्त भूमि दिनांक 10.06.1976 को आवंटित हुई थी किन्तु वादिनी को उस आवंटित भूमि गैरमुमकिन पहाड व गैर मुमकिन पठार सिवायचक अंकित थी । वादिनी ने कोई दखलनामा एवं खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की । अतः सेटलमेंट के नवीन रिकॉर्ड में भी सिवायचक चालू पडत अंकित है जिसमें सेटलमेंट की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादिनी को आवंटित हुई थी तथा उसके नाम से राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भी खुला था, लेकिन विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों की पूर्णतः अनदेखी कर केवल मात्र वादिनी द्वारा दखलनामा तथा खसरा गिरदावरी को प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर इस तनकी को वादीगण के विरूद्ध तय कर दिया । विचारण न्यायालय को यह चाहिये था कि सेटलमेंट द्वारा वादिनी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत होने के उपरान्त भी इस तथ्य को दरकिनार करते हुए विवादित भूम को चालू पडत दर्ज कर दिया इस पर विधिक विवेचना करनी थी लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं कर केवल मात्र कतिमय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने का हवाला देते हुए वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का नजर अन्दाज कर निष्कर्ष पारित किया जो हमारी सुविचारित राय में उचित प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त संदर्भ में हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया जो निम्नानुसार है – आरबीजे (9) 2002 पेज 334, आरबीजे (9) 2002 पेज 332, आरआरडी 1998 पेज 261, आरआरडी 1983 पेज 64, आर.आर.डी. 1983 पेज 285, आरआरडी 1983 पेज 364, आरबीजे 2001 पेज 170, आरबीजे 2006 पेज 205 उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सेटलमेंट विभाग को सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान राजस्व अभिलेख में पूर्ववर्ती प्रविष्टियों को ही दोहराना चाहिए । सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान सेटलमेंट अधिकारी को राजस्व अभिलेख में तत्समय अंकित प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है । जैर बहस भूमि वादिनी को दिनांक 10.06.1976 को आवंटित हुई थी तथा नामान्तरकरण संख्या 511 व 526 दिनांक 03.10.1977 को वादिनी के नाम गैर खातेदारी से राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई थी लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए इससे भिन्न प्रविष्टि अंकित कर दी जो हमारी सुविचारित राय में पूर्णतः अविधिक होकर पुष्टि योग्य नहीं है तथा कालान्तर में इस आधार पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1420 दिनांक 26.08.2013 स्वीकृत कर उक्त आराजीयात को भूमि को नगर विकास न्यास कोटा के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया वह भी अविधिक होकर निरस्त योग्य है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा इस तनकी में दिया गया निष्कर्ष हमारी राय में विधि–विरूद्ध होकर समर्थन योग्य नहीं है । अतः यह तनकी वादी अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

3. विवादक बिन्दु संख्या 3 :– आया विवादित भूमि पर रीको का कब्जा है ? इस तनकी के निष्कर्ष में विचारण न्यायालय के अनुसार विवादित आराजीयात जमाबन्दी संवत् 2063–2066 में खसरा नम्बर 112/1 रकबा 2.40 हैक्टर आराजी गैर मुमकिन बाडा तथा आराजी खसरा नम्बर 132/1 रकबा 1.92 हैक्टर आराजी बारानी द्वितीय राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम इकाई कोटा के खाते दर्ज रिकॉर्ड है । इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने पर विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 112/1 तथा आराजी खसरा नम्बर 132/1 नहीं होकर वास्तव में विवादित आराजी साबिक नं0 39 व 38 तथा हाल नम्बर 112 व 132 है । इस प्रकार जब विवादित भूमि के आराजी नं0 112 व 132 हैं तो ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के आराजी नम्बर 112/1 व 132/1 का विचारण न्यायालय का कथन एवं निष्कर्ष पूर्णतया भ्रामक होकर तथ्यों से परे हैं विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 में विवादित भूमि को रीको के खाते में दर्ज होना कहा है तथा पुनः तनकी संख्या 4 में यह निष्कर्ष दिया है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में नगर विकास न्यास कोटा के खाते में दर्ज है । ये दोनों ही निष्कर्ष विरोधाभासी होकर भ्रामक व तथ्यहीन हैं तथा इस आधार पर इस तनकी को प्रतिवादी संख्या 1 नगर विकास प्रन्यास कोटा के पक्ष में निर्णित करना ही समझ से परे हैं क्योंकि इस तनकी में यह निष्कर्ष दिया है कि विवादित भूमि रीको के खाते दर्ज है जबकि इसी निष्कर्ष में तनकी को रीको नहीं अपितु प्रतिवादी क्रम 1 नगर विकास न्यास कोटा के पक्ष में तय किया है । ऐसी स्थिति में विद्धान्त विचारण न्यायालय का निष्कर्ष भ्रामक एवं विरोधाभासी होने से इस तनकी को वादिया के पक्ष में निर्णित किया जाता है ।

4. विवादक बिन्दु संख्या 4 :– आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 2.23 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 132 रकबा 1.52 हैक्टर ग्राम रानपुर नगर विकास न्यास के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। इस संदर्भ में राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर सत्य है कि उक्त आराजीयात वर्तमान की जमाबन्दी जो कि भू–प्रबन्ध कार्यवाही के बाद बनी है उसमें यह भूमि नगर विकास न्यास के नाम दर्ज रिकॉर्ड है । वादीगण द्वारा वाद इसी कारण से ही प्रस्तुत करना पडा है इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विद्धान विचारण न्यायालय तनकी संख्या 03 के निष्कर्ष में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 112/1 व 132/1 बताया है तथा तनकी संख्या 04 में विवादित आराजी नं0 112 व 132 बताता है । इस प्रकार विचारण न्यायालय का अभिमत अस्पष्ट है तथा ऐसे अस्पष्ट अभिमत के आधार पर दिये गये निष्कर्ष भी भ्रामक एवं विरोधाभासी होने से समर्थन योग्य प्रतीत नहीं होते हैं ।

5. विवादक बिन्दु संख्या 5 : अनुतोष उपरोक्त विवादक बिन्दुवार विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा की साबिक आराजी खसरा नम्बर 39 एवं आराजी खसरा नम्बर 38 हैं जिसके वर्तमान में आराजी क्रमशः 112 रकबा 4.63 हैक्टर तथा आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 3.44 हैक्टर बने । साबिक आराजी नं0 38 में से 10 बीघा तथा आराजी नं0 39 में से 15 बीघा भूमि का विधिवत आवंटन दिनांक 10.06.1976 को वादिनी के पक्ष में किया गया । पुनः उक्त आवंटित भूमि नामान्तरकरण संख्या 511 एवं 526 दिनांक 03.10.1977 को वादिया के पक्ष में स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादिया के पक्ष में गैर खातेदारी का अंकन किया गया । भू–प्रबन्ध विभाग ने भ–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान उक्त राजस्व अभिलेख में अंकित प्रविष्टियों को नजरअन्दाज करते हुए भूमि को सिवायचक तथा किस्म भी परिवर्तित कर दी जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई विधिक अधिकार नहीं था । अतः भू–प्रबन्ध विभाग की यह कार्यवाही अविधिक होने से प्रभावशून्य होकर निरस्त योग्य है । पुनः भू–प्रबन्ध विभाग की उक्त अविधिक प्रविष्टि के आधार पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 26.08.2013 को नामान्तरकरण संख्या 1420 नगर विकास न्यास कोटा के पक्ष में

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

किया वह भी अविधिक होकर निरस्त योग्य है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वादिया को विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 10.06.1976 को हुआ तथा उसके पक्ष में दिनांक 28.10.1977 को राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी का अंकन हुआ तब से लकर वर्तमान तक उक्त आवंटन को निरस्त करने की किसी भी तरह की कार्यवाही निष्पादित की गयी हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है इससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि का आवंटन वादिया को सद्भाविक आवंटन था तथा आवंटन के उपरान्त इस भूमि पर वादिया का कब्जा रहा इस तथ्य से ही इंकार नहीं किया जा सकता ।

6. परिणामतः यह अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2017 अपास्त किया जाता है । नानान्तरकरण संख्या 1420 दिनांक 26.08.2013 निरस्त किया जाता है । वादिया अपीलान्ट को ग्राम रानपुर की आराजी नं0 132 रकबा 3.44 हैक्टर तथा आराजी नं0 112 रकबा 4.63 हैक्टर में वादिया को किये गये मूल आवंटन अनुसार रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । पुनः रेस्पोडेन्ट को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी अन्य किसी को आवंटित नहीं करे तथा अपीलान्ट के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Partt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/173

1. छोटी बाई पत्नी श्री माना गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये मुख्तार आम श्री रमेश चन्देल आत्मज श्री छोटू निवासी मकान नं0 6– जी– 51, विज्ञान नगर विस्तार योजना, कोटा ।
2. इमरान अली आत्मज श्री इश्हाक अली जाति मुसलमान निवासी मैन रोड, खेडली फाटक, कोटा ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिकी दिनांक 23.03.2017 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 60/दावा/2012

1. छोटी बाई पत्नी श्री माना गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये मुख्तार आम श्री रमेश चन्देल आत्मज श्री छोटू निवासी मकान नं0 6– जी– 51, विज्ञान नगर विस्तार योजना, कोटा ।
2. इमरान अली आत्मज श्री इश्हाक अली जाति मुसलमान निवासी मैन रोड, खेडली फाटक, कोटा ।

---वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्टेट, कोटा जिला कोटा .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 23.03.2017 .की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.12.2017 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आवासत एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से अभिभाषक श्री विद्याशंकर गोस्वामी उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि पर पर अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा का निर्णय व डिकी दिनांक 23.03.2017 अपास्त किया जाता है । नामान्तरकरण संख्या 1420 दिनांक 26.08.2013 निरस्त किया जाता है । वादिया अपीलान्ट को ग्राम रानपुर की आराजी नं0 132 रकबा 3.44 हैक्टर तथा आराजी नं0 112 रकबा 4. 63 हैक्टर में वादिया को किये गये मूल आवंटन अनुसार रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । पुनः रेस्पोडेन्ट को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी अन्य किसी को आवंटित नहीं करे तथा अपीलान्ट के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाज़ी नहीं करें ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिकी आज तारीख 11.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि